न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2011	2011/00009	06.04.2011	10.06.2024

1. लटूर पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पाडली तहसील राजगढ़, जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पाडली तहसील राजगढ़, जिला अलवर राज०।
2. नायब तहसीलदार साहब उपतहसील रैणी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी दिनांक 11.02.2008 जिसके द्वारा अपीलांट के बाला–बाला बिना सुने व दौरान दावा पिछली तारीख में इंतकाल संख्या 235 बाबत ख0न0 75–14 एयर गैर–मुमकिन चाह व 143–01 एयर गैरमुमकिन चाह तथा खाता सं0 13 के कुल किता 28 खसरा रकबा 08 है0 83 एयर वाके ग्राम पाडली बाबत विरासत मृतक गंगाबिशन पुत्र श्रवण के उक्त दोनो चाह में अपीलांट व रैस्पा0 सं0 1 तथा खाता सं0 13 में अंकित आराजी कुल किता 28 रकबा 8 है0 83 एयर वाके पाडली के 1/3 हिस्से में बहिस्स बराबर बेजा व खिलाफ कानून फर्जी तरीके से इंतकाल स्वीकार किया गया। बमुराद मंसूखी आदेश नायब तहसीलदार रैणी व इंतकाल सं0 235 व अन्य दीगर दादरसी।

उपस्थितः–

01.श्री मनमोहन शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02.श्री भीमसेन विजय –वकील रेस्पोडेन्ट 01
03.राजकीय अभिभाषक – वकील रेस्पोडेन्ट 02

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी दिनांक 11.02.2008 जिसके द्वारा अपीलांट के बाला–बाला बिना सुने व दौरान दावा पिछली तारीख में इंतकाल संख्या 235 बाबत ख0न0 75–14 एयर गैर–मुमकिन चाह व 143–01 एयर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

गैरमुमकिन चाह तथा खाता सं0 13 के कुल किता 28 खसरा रकबा 08 है0 83 एयर वाके ग्राम पाडली बाबत विरासत मृतक गंगाबिशन पुत्र श्रवण के उक्त दोनो चाह में अपीलांट व रैस्पा0 सं0 1 तथा खाता सं0 13 में अंकित आराजी कुल किता 28 रकबा 8 है0 83 एयर वाके पाडली के 1/3 हिस्से में बहिस्स बराबर बेजा व खिलाफ कानून फर्जी तरीके से इंतकाल स्वीकार किया गया है से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी हाल ख0 नं0 45, 47, 51, 61, 62, 73, 73, 74, 89, 93, 94, 117, 141, 144, 145, 203, 204/717, 205, 206, 207, 208, 209, 290, 291, 293, 294, 294/708, 295 कुल किता 28 रकबा 8 है0 83 एयर एवं वाके ग्राम पाडली तहसील राजगढ़ के मुताबिक जमाबंदी संवत् 2059 से 2068 के अपीलांट व रेस्पॉ0 सं0 1 तथा स्व0 गंगाबिशन अविवाहित था और उसके कोई संतान नही हुई थी, वह मिन अपीलान्ट के पास ही रहता था, मैं ही उसकी देखभाल करता था और मेरी पत्नी भी उसकी देखभाल व खाना आदि बनाकर देती थी। इस सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर स्व0 गंगाबिशन ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 11.09.2007 को स्वंय के निर्देशानुसार टाईप करवाकर व गवाहान की गवाही करवाकर तथा श्री रामअवतार मीना पब्लिक नोटिरी से तस्दीक करवाकर और अपने हस्ताक्षर कर अपीलान्ट के हक में एक वसीयत स्वेच्छा से व बिना किसी दबाव के तहरीर व तकमील की गंगाबिशन एक पढ़ा लिखा व समझदार व्यक्ति था जिसकी पहचान एक वसीयतनामें पर श्री योगेश कुमार एडवोकेट ने की है। उक्त वसीयत के जरिये गंगाबिशन ने उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान मय रकबा किता 28 रकबा 8 है083 एयर वाके पाडी जिसमें उक्त गंगाबिशन का 1/3 हिस्सा था और उसकी कब्जे काश्त खातेदारी की थी, इसके अलावा ख0नं0 75 रकबा 14 एयर गैरमुमकिन चाह तथा ख0नं0 143–01 एयर गैरमुमकिन चाह जिससे उक्त आराजी आबपासी होती है, उक्त दोनो चाह में भी स्व0 गंगाबिशन का 1/6–1/6 हिस्सा था, इस प्रकार स्व0 गंगाबिशन ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी व उक्त दोनो चाह जिसमें उसका 1/6 हिस्सा था, को जरिये उक्त वसीयत दिनांक 11.09.2007 के अपनी मृत्यु के बाद अन्य चल अचल संपत्ति सहित मिन अपीलान्ट को मालिक करार दिया है।

गंगाबिशन की मृत्यु दिनांक 30.09.2007 को हुई। उसके जीते जी उसकी इच्छानुसार मिन अपीलान्ट उसकी उपरोक्त आराजी व चाह एवं अन्य चल अचल संपत्ति पर काबिज हो गया था और मैं ही उसकी देखभाल व जोत बो करता था। उसकी मृत्यु के बाद से उक्त वसीयतनामा के आधार पर विवादित आराजी पर मैं बतौर मालिक खातेदार काबिज हूँ और जोत बाह कर रहा हूँ। इस प्रकार उपरोक्तआराजी किता 28 रकबा 8 है0 83 एयर वाके पाडली के 1/3 हिस्सा स्व0 गंगाबिशन का जरिये वसीयत मिन अपीलान्ट काबिज खातेदार होने के कारण कुल आराजी में से अपील मिन अपीलांट के 1/3 हिस्से को मिलाकर मिन अपीलान्ट 2/3 हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। इसी प्रकार मुताबिक जमाबंदी संवत् 2059 लगायत 2062 चाह खसरा नं0 75 रकबा 14 एयर एवं चाह ख0 नं0 143 रकबा 01 एयर के 1/2 हिस्से में गंगाबिशन, मिन अपीलान्ट व रेस्पा0 सं0 1 सम्भाग अर्थात प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के हिस्सेदार है। गंगाबिशन के स्वर्गवास होने पर उसके द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11.09.2007 के आधार पर उक्त दोनो चाह में मिन अपीलान्ट का 1/6 व स्व0 गंगाबिशन का 1/6 भाग मुझे मिलने पर उक्त चाह में दर 1/2 में 2/3 हिस्सा मिन अपीलान्ट का और रेस्पा0 सं0 1 का 1/6 हिस्सा रहा। इसी कदर अपीलान्ट व रेस्पा0 सं0 1 काबिज रहकर काश्त करते व आबपासी करते चले आ रहे है।

रेस्पा0 सं0 1 को यह जानकारी होते हुए भी कि गंगाविशन अविवाहित व लाऔलाद था और मिन अपीलान्ट के पास ही वह जिंदगी भर रहा और मैं व मेरी पत्नी ने ही उसकी सेवासुश्रुषा व देखभाल की और रेस्पा0 सं0 1 को वह भी जानकारी थी कि स्व0 गंगाबिशन अपने हिस्से की आराजी व तमाम चल–अचल संपत्ति की वसीयत मिन अपीलांट के हक में तहरीर व तकमील कर मुझे उक्त गंगाबिशन अपने की तमाम आराजी काश्त व संपत्ति का मालिक करार दे दिया है और जिस पर मैं काबिज हूँ रेस्पा0 सं0 1 ने उक्त विवादित आराजी कुल किता 28 रकबा 8 है0 83 ऐयर वाके पाडली के बाबत मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक दावा बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा मिन अपीलांट व उपपंजीयक रैणी व तहसीलदार साहब राजगढ़ के खिलाफ मय प्रा0 पत्र जेरदफा 212 राजस्थान टि0एक्ट पेशकर दावे में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के अनुसार तकसीम करावाई जाकर कुर्रेजात बनाये जाने तथा मिन अपीलांट, जो उक्त वाद में प्रति0 सं0 1 है, को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंध किए जाने का अनुतोष चाहा जो दावा दिनांक 13.03.2008 को उपखण्ड महोदय ने वकील वादी की इकतरफा बहस सुनकर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनायें रखने व प्रति0 सं0 1 के खिलाफ मृतक गंगाबिशन की विरासत का नामान्तकरण तन्हा अपने नाम दर्ज न कराने व आराजी के किसी भाग को रहन बय द्वारा मुंतकिल न किए जाने के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

जिस प्रार्थना पत्र और दया 212 राजस्थान टी0एक्ट व दावे का जवाब मिन अपीलाण्ट, जो उक्त वाद में प्रति0 सं01 हैं ने पेश किया और जवाब दावे के साथ ही काउण्टर क्लैम किया जिस काउण्टर क्लैम मैं मिन प्रतिवादी ने मृतक गंगाबिश्न द्वारा अपने हिस्से की आराजी व गैरमुमकिन चाह दो, तथा अन्य चल अचल संपति के बाबत निष्पातिद वसीयत दिनांक 11.09.2007 के आधार पर उक्त आराजी किता 28 रकबा 8 हैक्टे0 83 एयर मैं मिन प्रतिवादी कर 1/3 हिस्सा मिलाते हुए गंगाबिशन के 1/3 हिस्सा सहित 2/3 हिस्से मिन प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम किए जाने का तथा 1/3 हिस्से की आरजी से स्व0 गंगाबिशन का नाम कलमजन किया जाकर मिन अपीलाण्ट का नाम अंकित किए जाने व चाह ख0 नं0 75 व 143 का भी गंगाबिशन का 1/6 हिस्सा और मिन प्रति0 अपीलांट का 1/6 हिस्सा जो दर 1/2 में 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा व स्थायी निषेधाज्ञा से पांबंध करने का अनुरोध चाहा।

उक्त जवाब दावा, काउण्टर क्लैम व जवाब प्रा0 पत्र पेश करने के बाद उक्त वाद में आगामी आगामी पेशी 09.08.2010 वास्ते तनकियात व बहत प्रा0 पत्र जैर दफा 212

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

राज0टि0एक्ट नियत थी, इसी दौरान वादी रेस्पा0 प्रहलाद ने दिनांक 06.07.2010 को एक प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र जैर दफा 212 राज0टि0 एक्ट को विड्रा करने का प्रा0 पत्र पेश किया जिसकी मिन प्रति0 या मरे अधिवक्ता को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया और बिना हमें सुने अपने आदेश दिनांक 19.07.2010 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने वादी वादी रेस्पा0 का उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार कर विड्रा करने का आदेश देते हुए खारिज कर दिया व जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.03.2008 को भी खारिज कर दिया। इसी दिनांक 19.07.2010 को अपना प्रा0 पत्र खारिज करवाने के बाद वादि रेस्पा0 ने नायब तहसीलदार रैणी से साजबाज होकर दौरान दावा उक्तअ आराजी का इंतकाल विरासत संख्या 235 राजस्व कैम्प टहटडा में अंकितं अंकित करते हुए दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार किया जाना अंकित किया है जिस इन्तकाल द्वारा स्व0 गांगबिशन पुत्र श्रवण कर उपरोक्त आराजी किता 28 रकबा हैक्टेयर 983 एयर वाले पाडली के मृतक का 1/3 हिस्सा को वादी व प्रतिवादी के नाम आधी आधी दर्ज कराते हए तमामआराजी में 1/2–1/2 हिस्ते का इंतकाल मिन अपीलाण्ट के बाला–बाला बिना नोटिस दिए स्वीकार करवा लिया। जिस इंतकाल के खिलाफ निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत हैः–

विवादित इन्तकाल संख्या 235 नायब तहसीलदार साहब रैणी द्वारा मिन अपीलाण्ट के बाला बाला बिना कोई नोटिस दिए राजस्व शिविर सन् 2008 ग्राम टहटडा में दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार किया जाना अंकित किया है जिसकी मिन अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2011 को रेस्पा0 सं0 1 द्वारा यह जाहिर करने पर कि मृतक गंगाबिशन के हिस्से की आधी आरजी का इन्तकाल मैंने अपने नाम करवा लिया है और अब तुम्हारे हक में की गई वसीयत का कोई महत्त्व नहीं रहा है, यह जानकारी होने पर मैंने दिनांक 21.02.2011 को उपतहसील रैणी मैं जाकर उक्त इन्तकाल के बारे में जानकारी की और जानकारी होने पर दिनांक 21.02.2011 को ही नकल के लिए प्रा0 पत्र देने पर उसी दिन मिन अपीलाण्ट को नकल मिल गई। नकल मिलने के बाद मिन अपीलाण्ट ने वकृलाय साहिबान से इस सबंध में कानूनी मशवरा किया तो मुझे अपील करने की सलाह दी गई और अपील करने के लिए जरूरी अन्य दस्तावेजात की नकलें प्राप्त की और अपील के लिए खर्चा एवं मेहनताना राशि का इन्तजाम किया और अपील तैयार करवाई जाकर दिनाँक 19.03.2011 व 20.03.2011 का अवकाश होने से आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है, तथा उक्त देरी को माप किए जाने के लिए अलग से प्रा0पत्र और दफा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है।

रेस्पॉ0 सं0 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के यहां जो मु0नं01/42 सन् 2008 बअनुवान प्रहलाद बनाम लटूर दिनांकक 13.03.2008 को मय प्रा0 पत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि0एक्ट पेश किया गया, यदि उक्त इंतकाल संख्या 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हुआ होता तो रेस्पॉ0 सं0 1 अपने वाद में अवश्यही उक्त इंतकाल का स्वीकार होने के बावत उल्लेख करता और दावे एवं प्रार्थना पत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि0एक्ट मैं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

वह स्वंय यह कहकर आ रहा है कि जमाबंदी में आराजी मुतनाजा पर तीनों भाईयों का नाम अंकित है जिनमें से गंगाविशन लाऔलाद फौत हो गया है और वाद के जिमन नं0 2 जिसका अंत पेज नं0 3 पर यह लिखा है कि मृतक गंगाविशन की विरासत का नामान्तकरण अभी दर्ज नहीं हुआ है इसलिए उक्त गंगाविशन का नाम उपरोक्त आराजी के खाना खातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि यह इंतकाल नायब तहसीलदार रैणी से साजबाज होकर पिछली तारीख में फर्जी तरीके से दर्द स्वीकार किया गया है जैसा कि उपरोक्त तथ्य से सावित है। वादी द्वारा किये गये उक्त दावे में मिन प्रतिवादी अपीलाण्ट ने जवाब दावा व काउण्टर क्लैम दिन कि 03.11.2008 को पेश किया जिसमें मिन अपीलाण्ट प्रतिवादी ने स्व0 गंगाविशन अविवाहित होना व लावल्द होना अंकित करते हुए मिन प्रति0 अपीलाण्ट के पास रहना एवं मेरी पत्नी द्वारा सेवा सुश्रुषा व देखभाल करना और मृतक गंगाविशन द्वार मेरे हक में उक्त आरी सुतनाजा के 1/3 हिस्से की वसीयत दिन कि 11.09.2007 को मिन प्रति0 अपीलाण्ट के नाम स्वेच्छा से व विना किसी दवाव के निष्पादित करना और उस पर गवाहान की गवाही व स्वंय के हस्ताक्षर व पब्लिक नोटेरी से तसदीक होना अंकित किया व उक्त वसीयत के आधार पर काउण्टर क्लेम में मृतक गंगाविशन के 1/3 हिस्से का मिन प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस काउण्टर क्लैम का जवाब वादी रेस्पा0 ने दिनांक 02.02.2009 को देते हुए पैरा नं0 5 मैं यह कथन किया है कि आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादी निस्फ–निस्फ भाग में बराबर बराबर के खतेदार काश्तकार घोपित किए जाने के अधिकारी हैं एवं इसी कदर कुर्रेजात कायम करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसका तातपर्य यह हुआ कि यदि इन्तकाल संख्या 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हो गया होता तो वादी रेस्पा0 संख्या 1 काउण्टर क्लैम के जवाब में, जो तथ्य पैर नं 5 में दर्ज किए हैं, वे तथ्य नहीं लिखता और इससे यह भी सावित है कि दिनांक 02.02.2009 तक भी उक्त इन्तकाल वास्तव में ना तो दर्ज हुआए ना स्वीकार हुआ।

उक्त इन्तकाल नं0 235 पटवारी हलका द्वारा दिनांक 11.02.2009 को भरा गया है जैसा कि इंतकाल के कॉलम नं0 16 में अंकित है व पटवारी हलका के हस्ताक्षर है। जब इंतकाल दिनांक 11.02.2009 को पटवारी हलका द्वारा भरा गया तो दिनांक 11.02.2008 को नायब तहसीलदार रैणी द्वारा इंतकाल स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो एक जाँच का विषय है और यह सारी फर्जी कार्यवाही नायब तहसीलदार ने वादी रेस्पा0 संख्या 1 से साजवाज होकर की है। दावा जब दिनांक 13.03.2008 को पेश कर दिया गया और उक्त इंतकाल कर अमल हाल जमावंदी संवत् 2063 से 2066 के कालॅम नं0 1 लगायत 17 में लाल स्याही से हाल ही में किये हैं और उक्त जमावंदी की नकल दिनांक 26.02.2011 को सूची पेहरिस्त में दर्ज कर वादी रेस्पां0 संख्या 1 द्वारा दावे में पेश की है। इससे भी यह स्पष्ट है कि यदि इंतकाल सं. 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हो गया होता तो इसका अमल पहले ही तत्कालीन जमावंदी में पहले ही हो जाता। वास्तव मैं उक्त इंतकाल दर्ज करवाने से पहले नायब तहसीलदार से मिलकर वादी रैस्पा0 संख्या 1 ने साजिश रची और उसी के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

दिनांक 13.03.2008 को दावे में जो अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा जारी की गई थी उसको वादी रेस्पा० संख्या 1 ने तारीक पेशी से पूर्व ही दिन कि 06.07.2010 को प्रपत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि०एक्ट को विड्रा करने व अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने का पेश किया जिस प्रा० पत्र का कोई नोटिस मिन प्रति० अपीलाण्ट को नहीं दिया और गुपचुप तरीके से उक्त प्रा० पत्र पर पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 19.07.2010 बार प्रा० पत्र वादी जैर दफा 212 राज०टि०एक्ट विड्रा करते हुए खारिज कर दी गई व अत्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त कर दी गई। उसके बाद ही यह फर्जी इन्तकाल सं. 235 को पिछली तारीख मैं स्वीकार करवाया गया है और इसके बाद ही जमाबंदी में अमल करवाकर दिनांक 26.02.2011 को पेश की गई है।

इंतकाल नं. 235 दावे के दौरान अपनी ही दरख्वास्त जैर दफा 212 राज०टि०एक्ट को खारिज करवाकर बिना कोई नोटिस दिए मिन अपीलाण्ट के बाला बाला रेस्पा० संख्या 1 ने स्वीकार करवाया है, जबकि दावा व काउण्टर क्लेम अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उक्त इंतकाल मिन प्रतिवादी अपीलाण्ट के हकूको के खिलाफ व दौरान दावा स्वीकार किया गया है जिसे मिन प्रति० अपीलाण्ट के हकूकों के खिलाफ बातिल, बेअसर होने के कारण खारिज फरमाया जाये एवं उक्त इन्तकाल के आधार पर जो राजस्व इन्दाज किए गये हैं, वे भी कलमजन किये जावें। वादी रेस्पॉ० संख्या 1 को यह पता है कि उसने गलत काम किया है और नायब तहसीलदार से मिलकर यह इंतकाल 212 राज०टि०एक्ट का प्रा० पत्र जो दिनांक 19.07.2010 को विड्रा कर खरिज की गई, के बाद किया गया है

मिन अपीलाण्ट के हक में मृतक गंगाबिशन ने वसीयत तहरी की व निष्पादित की है और उक्त वसीयत के आधार पर मैं उसके हिस्से की आरजी पर बतौर काबिज खातेदार हूँ, जबकि मुझे बिना पक्षकार बनाये इंतकाल स्वीकार किया गया है इसलिए पीडित पक्षकार होने से इजाजत अील हेतु प्रा० पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकाल संख्या 235 की आड में रैस्पॉ० सं० 1 मिन अपीलांट को मृतक गंगाबिशन के हिस्से की आराजी, जिस पर मैं वसीयत के आधार पर काबिज खातेार हूँ, को रहन व बय द्वारा मुंतकिल करने की जूस्तजू में है। जिसके लिए प्रा० पत्र स्टे अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकाल सं० 235 पिछली तारीख 11.02.2008 में नायब तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इंतकाल सं० 235 जो नायब तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 11.02.2008 बाबत आराजी हाल ख० नं० 75–14 एयर गैरमुमकिन चाह, 143 रकबा 01 एयर गैरमुमकिन चाह तथा खाता सं० 13 के कुल किता 28 खसरा रकबा 08 है० 83 एयर वाके ग्राम पाडली निरस्त फरमाया जावें एवं अन्य दीगर दादरसी बनजदीक कानून जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे बहक अपीलांट प्रदान की जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ० को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

वकील अपीलान्ट द्वारा लिखिल बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम पाडली तहसील राजगढ़ के मुताबिक जमावंदी संवत् 2059 से 2068 के अपीलांट व रेस्पॉ0 सं0 1 तथा स्व0 गंगाबिशन अविवाहित था और उसके कोई संतान नही हुई थी, वह मिन अपीलान्ट के पास ही रहता था, मैं ही उसकी देखभाल करता था और मेरी पत्नी भी उसकी देखभाल व खाना आदि बनाकर देती थी। इस सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर स्व0 गंगाबिशन ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 11.09.2007 को स्वंय के निर्देशानुसार टाईप करवाकर व गवाहान की गवाही करवाकर तथा श्री रामअवतार मीना पब्लिक नोटिरी से तस्दीक करवाकर और अपने हस्ताक्षर कर अपीलान्ट के हक में एक वसीयत स्वेच्छा से व बिना किसी दबाव के तहरीर व तकमील की गंगाबिशन एक पढ़ा लिखा व समझदार व्यक्ति था जिसकी पहचान एक वसीयतनामें पर श्री योगेश कुमार एडवोकेट ने की है। उक्त वसीयत के जरिये गंगाबिशन ने उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान मय रकबा किता 28 रकवा 8 है083 एयर वाके पाडी जिसमें उक्त गंगाबिशन का 1/3 हिस्सा था और उसकी कब्जे काश्त खातेदारी की थी, इसके अलावा ख0नं0 75 रकबा 14 एयर गैरमुमकिन चाह तथा ख0नं0 143–01 एयर गैरमुमकिन चाह जिससे उक्त आराजी आबपासी होती है, उक्त दोनो चाह में भी स्व0 गंगाबिशन का 1/6–1/6 हिस्सा था, इस प्रकार स्व0 गंगाबिशन ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी व उक्त दोनो चाह जिसमें उसका 1/6 हिस्सा था, को जरिये उक्त वसीयत दिनांक 11.09.2007 के अपनी मृत्यु के बाद अन्य चल अचल संपत्ति सहित मिन अपीलान्ट को मालिक करार दिया है।

गंगाबिशन की मृत्यु दिनांक 30.09.2007 को हुई। उसके जीते जी उसकी इच्छानुसार मिन अपीलान्ट उसकी उपरोक्त आराजी व चाह एवं अन्य चल अचल संपत्ति पर काबिज हो गया था और में ही उसकी देखभाल व जोत बो करता था। उसकी मृत्यु के बाद से उक्त वसीयतनामा के आधार पर विवादित आराजी पर मैं बतौर मालिक खातेदार काबिज हूँ और जोत बाह कर रहा हूँ। इस प्रकार उपरोक्तआराजी किता 28 रकबा 8 है0 83 एयर वाके पाडली के 1/3 हिस्सा स्व0 गंगाबिशन का जरिये वसीयत मिन अपीलान्ट काबिज खातेदार होने के कारण कुल आराजी में से अपील मिन अपीलांट के 1/3 हिस्से को मिलाकर मिन अपीलान्ट 2/3 हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। इसी प्रकार मुताबिक जमाबंदी संवत् 2059 लगायत 2062 चाह खसरा नं0 75 रकबा 14 एयर एवं चाह ख0 नं0 143 रकबा 01 एयर के 1/2 हिस्से में गंगाबिशन, मिन अपीलान्ट व रेस्पा0 सं0 1 सम्भाग अर्थात प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के हिस्सेदार है। गंगाबिशन के स्वर्गवास होने पर उसके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11.09.2007 के आधार पर उक्त दोनो चाह में मिन अपीलान्ट का 1/6 व स्व0 गंगाबिशन का 1/6 भाग मुझे मिलने पर उक्त चाह में दर 1/2 में 2/3 हिस्सा मिन अपीलान्ट का और रेस्पा0 सं0 1 का 1/6 हिस्सा रहा। इसी कदर अपीलान्ट व रेस्पा0 सं0 1 काबिज रहकर काश्त करते व आबपासी करते चले आ रहे है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

रेस्पा0 सं0 1 को यह जानकारी होते हुए भी कि गंगाविशन अविवाहित व लाऔलाद था और मिन अपीलान्ट के पास ही वह जिंदगी भर रहा और मैं व मेरी पत्नी ने ही उसकी सेवासुश्रुषा व देखभाल की और रेस्पा0 सं0 1 को वह भी जानकारी थी कि स्व0 गंगाबिशन अपने हिस्से की आराजी व तमाम चल–अचल संपत्ति की वसीयत मिन अपीलांट के हक में तहरीर व तकमील कर मुझे उक्त गंगाबिशन अपने की तमाम आराजी काश्त व संपत्ति का मालिक करार दे दिया है और जिस पर मैं काविज हूँ रेस्पा0 सं0 1 ने उक्त विवादित आराजी कुल किता 28 रकबा 8 है0 83 ऐयर वाके पाडली के बाबत मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक दावा बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा मिन अपीलांट व उपपंजीयक रैणी व तहसीलदार साहब राजगढ़ के खिलाफ मय प्रा0 पत्र जेरदफा 212 राजस्थान टि0एक्ट पेशकर दावे में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के अनुसार तकसीम करावाई जाकर कुर्रेजात बनाये जाने तथा मिन अपीलांट, जो उक्त वाद में प्रति0 सं0 1 है, को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किए जाने का अनुतोष चाहा जो दावा दिनांक 13.03.2008 को उपखण्ड महोदय ने वकील वादी की इकतरफा बहस सुनकर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनायें रखने व प्रति0 सं0 1 के खिलाफ मृतक गंगाबिशन की विरासत का नामान्तकरण तन्हा अपने नाम दर्ज न कराने व आराजी के किसी भाग को रहन बय द्वारा मुंतकिल न किए जाने के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

जिस प्रार्थना पत्र और दया 212 राजस्थान टी0एक्ट व दावे का जवाब मिन अपीलाण्ट, जो उक्त वाद में प्रति0 सं01 हैं ने पेश किया और जवाब दावे के साथ ही काउन्टर क्लैम किया जिस काउण्टर क्लैम में मिन प्रतिवादी ने मृतक गंगाबिश्न द्वारा अपने हिस्से की आराजी व गैरमुमकिन चाह दो, तथा अन्य चल अचल संपति के बाबत निष्पातिद वसीयत दिनांक 11.09.2007 के आधार पर उक्त आराजी किता 28 रकबा 8 हैक्टे0 83 एयर में मिन प्रतिवादी कर 1/3 हिस्सा मिलाते हुए गंगाबिशन के 1/3 हिस्सा सहित 2/3 हिस्से मिन प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम किए जाने का तथा 1/3 हिस्से की आरजी से स्व0 गंगाबिशन का नाम कलमजन किया जाकर मिन अपीलाण्ट का नाम अंकित किए जाने व चाह ख0 नं0 75 व 143 का भी गंगाबिशन का 1/6 हिस्सा और मिन प्रति0 अपीलांट का 1/6 हिस्सा जो दर 1/2 में 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा व स्थायी निषेधाज्ञा से पांवध करने का अनुरोध चाहा।

वादी/रेस्पोडेन्ट प्रहलाद ने दिनांक 02.02.2009 को काउण्टर क्लैम व जवाब प्रा0 पत्र पेश करने के बाद उक्त वाद में आगामी आगामी पेशी 09.08.2010 वास्ते तनकियात व बहत प्रा0 पत्र जैर दफा 212 राज0टि0एक्ट नियत थी, इसी दौरान वादी रेस्पा0 प्रहलाद ने दिनांक 06.07.2010 को एक प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र जैर दफा 212 राज0टि0 एक्ट को विड्रा करने का प्रा0 पत्र पेश किया जिसकी मिन प्रति0 या मरे अधिवक्ता को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया और बिना हमें सुने अपने आदेश दिनांक 19.07.2010 द्वारा न्यायालय

...जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने वादी वादी रेस्पा0 का उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार कर डिक्री करने का आदेश देते हुए खारिज कर दिया व जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.03.2008 को भी खारिज कर दिया। इसी दिनांक 19.07.2010 को अपना प्रा0 पत्र खारिज करवाने के बाद वादि रेस्पा0 ने नायब तहसीलदार रैणी से साजबाज होकर दौरान दावा उक्तअ आराजी का इंतकाल विरासत संख्या 235 राजस्व कैम्प टहटडा में अंकितं अंकित करते हुए दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार किया जाना अंकित किया है जिस इन्तकाल द्वारा स्व0 गंगबिशन पुत्र श्रवण कर उपरोक्त आराजी किता 28 रकबा हैक्टेयर 983 एयर वाले पाडली के मृतक का 1/3 हिस्सा को वादी व प्रतिवादी के नाम आधी आधी दर्ज कराते हए तमामआराजी में 1/2–1/2 हिस्ते का इंतकाल मिन अपीलाण्ट के बाला–बाला बिना नोटिस दिए स्वीकार करवा लिया।

विवादित इन्तकाल संख्या 235 नायब तहसीलदार साहब रैणी द्वारा मिन अपीलाण्ट के बाला बाला बिना कोई नोटिस दिए बिना ही स्वीकार किया जाना अंकित है। मृतक गंगाबिशन के हिस्से की आधी आरजी का इन्तकाल मैंने अपने नाम करवा लिया है और अब तुम्हारे हक में की गई वसीयत का कोई महत्त्व नहीं रहा है, यह जानकारी होने पर मैंने दिनांक 21.02.2011 को उपतहसील रैणी मैं जाकर उक्त इन्तकाल के बारे में जानकारी की और जानकारी होने पर दिनांक 21.02.2011 को ही नकल के लिए प्रा0 पत्र देने पर उसी दिन मिन अपीलाण्ट को नकल मिल गई। नकल मिलने के बाद मिन अपीलाण्ट ने वकूलाय साहिबान से इस सबंध में कानूनी मशवरा किया तो मुझे अपील करने की सलाह दी गई और अपील करने के लिए जरूरी अन्य दस्तावेजात की नकलें प्राप्त की और अपील के लिए खर्चा एवं मेहनताना राशि का इन्तजाम किया और अपील तैयार करवाई जाकर दिनाँक 19.03.2011 व 20.03.2011 का अवकाश होने से आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है।

रेस्पॉ0 सं0 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के यहां जो मु0नं0 1/42 सन् 2008 बअनुवान प्रहलाद बनाम लटूर दिनांकक 13.03.2008 को मय प्रा0 पत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि0एक्ट पेश किया गया, यदि उक्त इंतकाल संख्या 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हुआ होता तो रेस्पॉ0 सं0 1 अपने वाद में अवश्यही उक्त इंतकाल का स्वीकार होने के बावत उल्लेख करता और दावे एवं प्रार्थना पत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि0एक्ट में वह स्वंय यह कहकर आ रहा है कि जमाबंदी में आराजी मुतनाजा पर तीनों भाईयों का नाम अंकित है जिनमें से गंगाबिशन लाऔलाद फौत हो गया है और वाद के जिमन नं0 2 जिसका अंत पेज नं0 3 पर यह लिखा है कि मृतक गंगाबिशन की विरासत का नामान्तकरण अभी दर्ज नहीं हुआ है इसलिए उक्त गंगाबिशन का नाम उपरोक्त आराजी के खाना खातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि यह इंतकाल नायब तहसीलदार रैणी से साजबाज होकर पिछली तारीख में फर्जी तरीके से दर्द स्वीकार किया गया है जैसा कि उपरोक्त तथ्य से साबित है। वादी द्वारा किये गये उक्त दावे में मिन प्रतिवादी अपीलाण्ट ने जवाब दावा व काउण्टर क्लैम दिन कि 03.11.2008 को पेश किया जिसमें मिन अपीलाण्ट प्रतिवादी ने स्व0 गंगाबिशन अविवाहित होना व लावल्द होना अंकित करते हुए मिन प्रति0 अपीलाण्ट के पास रहना एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

मेरी पत्नी द्वारा सेवा सुश्रुषा व देखभाल करना और मृतक गंगाबिशन द्वार मेरे हक में उक्त आरी सुतनाजा के 1/3 हिस्से की वसीयत दिन कि 11.09.2007 को मिन प्रति0 अपीलाण्ट के नाम स्वेच्छा से व बिना किसी दबाव के निष्पादित करना और उस पर गवाहान की गवाही व स्वंय के हस्ताक्षर व पब्लिक नोटेरी से तसदीक होना अंकित किया व उक्त वसीयत के आधार पर काउण्टर क्लेम में मृतक गंगाबिशन के 1/3 हिस्से का मिन प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस काउण्टर क्लैम का जवाब वादी रेस्पा0 ने दिनांक 02.02.2009 को देते हुए पैरा नं0 5 मैं यह कथन किया है कि आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादी निस्फ–निस्फ भाग में बराबर बराबर के खतेदार काश्तकार घोषित किए जाने के अधिकारी हैं एवं इसी कदर कुर्रेजात कायम करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसका तातपर्य यह हुआ कि यदि इन्तकाल संख्या 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हो गया होता तो वादी रेस्पा0 संख्या 1 काउण्टर क्लैम के जवाब में, जो तथ्य पैर नं 5 में दर्ज किए हैं, वे तथ्य नहीं लिखता और इससे यह भी साबित है कि दिनांक 02.02.2009 तक भी उक्त इन्तकाल वास्तव में ना तो दर्ज हुआए ना स्वीकार हुआ।

उक्त इन्तकाल नं0 235 पटवारी हलका द्वारा दिनांक 11.02.2009 को भरा गया है जैसा कि इंतकाल के कॉलम नं0 16 में अंकित है व पटवारी हलका के हस्ताक्षर है। जब इंतकाल दिनांक 11.02.2009 को पटवारी हलका द्वारा भरा गया तो दिनांक 11.02.2008 को नायब तहसीलदार रैणी द्वारा इंतकाल स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो एक जाँच का विषय है और यह सारी फर्जी कार्यवाही नायब तहसीलदार ने वादी रेस्पा0 संख्या 1 से साजबाज होकर की है। दावा जब दिनांक 13.03.2008 को पेश कर दिया गया और उक्त इंतकाल कर अमल हाल जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 के कालॅम नं0 1 लगायत 17 में लाल स्याही से हाल ही में किये हैं और उक्त जमाबंदी की नकल दिनांक 26.02.2011 को सूची पेहरिस्त में दर्ज कर वादी रेस्पां0 संख्या 1 द्वारा दावे में पेश की है। इससे भी यह स्पष्ट है कि यदि इंतकाल सं. 235 दिनांक 11.02.2008 को स्वीकार हो गया होता तो इसका अमल पहले ही तत्कालीन जमाबंदी में पहले ही हो जाता। वास्तव मैं उक्त इंतकाल दर्ज करवाने से पहले नायब तहसीलदार से मिलकर वादी रैस्पा0 संख्या 1 ने साजिश रची और उसी के तहत दिनांक 13.03.2008 को दावे में जो अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा जारी की गई थी उसको वादी रेस्पा0 संख्या 1 ने तारीक पेशी से पूर्व ही दिन कि 06.07.2010 को प्रपत्र जैर दफा 212 राजस्थान टि0एक्ट को विड्रा करने व अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने का पेश किया जिस प्रा0 पत्र का कोई नोटिस मिन प्रति0 अपीलाण्ट को नहीं दिया और गुपचुप तरीके से उक्त प्रा0 पत्र पर पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 19.07.2010 बार प्रा0 पत्र वादी जैर दफा 212 राज0टि0एक्ट विड्रा करते हुए खारिज कर दी गई व अस्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त कर दी गई। उसके बाद ही यह फर्जी इन्तकाल सं. 235 को पिछली तारीख मैं स्वीकार करवाया गया है और इसके बाद ही जमाबंदी में अमल करवाकर दिनांक 26.02.2011 को पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

इंतकाल नं. 235 दावे के दौरान अपनी ही दरख्वास्त जैर दफा 212 राज0टि0एक्ट को खारिज करवाकर बिना कोई नोटिस दिए मिन अपीलाण्ट के बाला बाला रेस्पा0 संख्या 1 ने स्वीकार करवाया है, जबकि दावा व काउण्टर क्लेम अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उक्त इंतकाल मिन प्रतिवादी अपीलाण्ट के हकूको के खिलाफ व दौरान दावा स्वीकार किया गया है जिसे मिन प्रति0 अपीलाण्ट के हकूकों के खिलाफ बातिल, बेअसर होने के कारण खारिज फरमाया जाये एवं उक्त इन्तकाल के आधार पर जो राजस्व इन्दाज किए गये हैं, वे भी कलमजन किये जावें। वादी रेस्पॉ0 संख्या 1 को यह पता है कि उसने गलत काम किया है और नायब तहसीलदार से मिलकर यह इंतकाल 212 राज0टि0एक्ट का प्रा0 पत्र जो दिनांक 19.07.2010 को विड्रा कर खरिज की गई, के बाद किया गया है

मिन अपीलाण्ट के हक में मृतक गंगाबिशन ने वसीयत तहरी की व निष्पादित की है और उक्त वसीयत के आधार पर मैं उसके हिस्से की आरजी पर बतौर काबिज खातेदार हूँ, जबकि मुझे बिना पक्षकार बनाये इंतकाल स्वीकार किया गया है इसलिए पीडित पक्षकार होने से इजाजत अील हेतु प्रा0 पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकाल संख्या 235 की आड में रैस्पॉ0 सं0 1 मिन अपीलांट को मृतक गंगाबिशन के हिस्से की आराजी, जिस पर मैं वसीयत के आधार पर काबिज खातेर हूँ, को रहन व बय द्वारा मुंतकिल करने की जूस्तजू में है। जिसके लिए प्रा0 पत्र स्टे अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकाल सं0 235 पिछली तारीख 11.02.2008 में नायब तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकार किया गया है को निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य दीगर दादरसी बनजदीक कानून मुनाबिक समझे बहक अपीलान्ट प्रदान की जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की साईटेशन आर0आर0डी0 2009 पेज 195, आर0आर0डी0 1995 पेज 772, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0डी0 1992 पेज 339, आर0आर0डी0 2009 पेज 370, आर0आर0डी0 2007 पेज 832, आर0आर0डी0 2010 पेज 405, आर0आर0डी0 2008 पेज 168, आर0आर0डी0 2001 पेज 242, आर0आर0डी0 2010 पेज 686 पेश की हैं।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा लिखिल बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि इंतकाल संख्या 235 दिनांक 11.02.2008 के विरूद्ध अपील न्यायालय में पेश की है। गंगाविशन मृतक जिसका इंतकाल चढाया गया है वो सही है क्योंकि गंगाबिशन के मात्र दो वारिश अपीलार्थी एवं मिन रेस्पोडेन्ट है दोनों के नाम चढाया है। इंतकाल दोनों पक्षकार की मौजूदगी में चढा है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को इंतकाल की दिनांक से ही है लेकिन अपीलार्थी की जानकारी में होते हुए भी अपील दिनांक 21.03.2011 को पेश की है जो मियाद वाहर पेश की गई है तथा धारा 05 मियाद अधिनियम में देरी का कोई समुचित कारण नही दिया गया है उक्त अपील 3 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जिस प्रकार कानूनी नजीर निम्न प्रकार है आर0आर0डी0 2009 पेज 465, 661, 150 एवं आर0आर0डी0 2007 पेज 311 राजस्थान हाई कोर्ट।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट अपने हक में एक वसीयत बताता है जो दिनांक 11.09.2007 को तहरीर होना बताता है जिसके आधार पर अपील पेश की गई है। जो वसीयत बनावटी एवं फर्जी बनाई गई है क्योंकि वसीयत पर गवाहन अपीलान्ट के स्वयं के लड़के है जो मात्र रेस्पोडेन्ट के हक को हड़पने की मंशा से फर्जी तैयार कराई गई है जिस वसीयत को निरस्त कराने का एवं सिविल दावा सिविल न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. राजगढ़ की न्यायालय में विचाराधीन है अपीलान्ट प्रतिवादी है एवं अपना जवाबदावा पेश किया है तथा जिस आधार पर अपील पेश की है उस आधार वसीयत है जिसे निरस्त कराने का दावा जब सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय सिविल न्यायालय से होना है ऐसी सूरत में उक्त इंतकाल के लिये न्यायालय श्रीमान कानूनन के अपना निर्णय नही कर सकती जब तक की सिविल न्यायलय से निर्णय नही हो जाता। जिस पर निम्नलिखित कानूनी नजीरें हैं जो निम्न प्रकार हैं आर0आर0डी0 2011 पेज 559, आर0आर0डी0 2009 पेज 428, 800, आर0आर0डी0 1998 पेज 370 उक्त नजीरों के आधार पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि अपील मियाद बाहर है तथा वसीयत को निरस्त कराने का दावा भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय सिविल न्यायालय से होना है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की लिखित बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार तहसीलदार राजगढ द्वारा विरासत का नामान्तकरण विधिवत एवं प्रक्रियानुसार जारी किया गया है। नामान्तकरण जारी करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। पक्षकार के पास वसीयत के अन्य दस्तावेज हैं तो अन्य सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने के लिए स्वतंत्र है। अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर